

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्य प्रदेश

17

क्र./आई.टी/2020/41

भोपाल, दिनांक 14/09/2020

आदेश

राज्य के नागरिकों को विधिक सामग्री निःशुल्क एवं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म.प्र. शासन के पोर्टल MP Code (www.code.mp.gov.in) पर विभाग के नियम, अधिनियम, विनियम, अधिसूचना व राज्य में लागू केन्द्रीय अधिनियम व संशोधन दोनों भाषाओं (हिन्दी-अंग्रेजी) में अपलोड किए जा रहे हैं। उक्त संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश के समस्त नियम, अधिनियम, विनियम, अधिसूचना एवं निरस्त नियम/अधिनियम आदि अपलोड की जाने योग्य सामग्री मेप-आईटी को उपलब्ध कराया जाना है। इस कार्य के सम्पादन हेतु उप संचालक (विनियम) को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित



(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (आई.टी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.

क्र./ आई.टी/2020/ 42

भोपाल, दिनांक 14/09/2020

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.
2. उप-सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.



संयुक्त संचालक (आई.टी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.